

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(अम्बेडकर भवन, जी-3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर-302006)

क्रमांक एफ1()/स्था/सान्याअवि/2019/ 2615

जयपुर दिनांक 8-7-2019

-: आदेश :-

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा - 2016 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा अनुसार कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्रांक प. 9(2) कार्मिक/क-4/2/2018 दिनांक 30.06.2019 के द्वारा नियुक्ति हेतु संदर्भित किये जाने पर राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय-समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा में ग्रुप 'ए-2' जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के पद पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की कालावधि (परिवीक्षा काल) के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर L-12 में राशि 31100/- पारिश्रमिक वेतन भत्तों पर एतद द्वारा नियुक्त किया जाता है।

क्र.सं.	मेरिट संख्या	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)	श्रेणी	जन्म तिथि
1	299	203376	अरुण सिंह शेखावत पुत्र मनोहर सिंह शेखावत, जसरासर हाउस, रेडियो स्टेशन टॉवर के पास, डिफेंस कॉलोनी, तिलक नगर, बीकानेर (राज.)	GE	10/01/1994
2	333	219577	सुनिल कुमार गर्ग पुत्र सतनाशयण गर्ग, मकान नं. 13, कस्टम कॉलोनी, पात्र बत्ती चौराहा, रातानाड़ा, जोधपुर (राज.)	GE	09/02/1987
3	337	207173	रोहित जैन पुत्र सुभाष चन्द जैन, 42 शॉपिंग सेंटर, नियर पीतल फॅक्टरी, शास्त्री नगर, जयपुर (राज.)	GE	30/01/1989
4	348	204093	अरविन्द आचार्य पुत्र नारायण दास आचार्य शादाणियो की ललाई के पास, हमालो की बारी बहार, बीकानेर (राज.)	GE, RG	21/03/1985
5	361	203362	प्रियंका पारीक पत्नी किरांन लाल तियाडी, पारीक बाँक, ग्राम पोस्ट-साहबा (चुरू) (राज.)	GE, WE, RG	25/01/1983
6	366	203382	बाजिद खान पुत्र शाहबुद्दीन निवासी वार्ड नं. 41, राज. बिक्रीसालय के पास, लूणकरणसर, जिला बीकानेर (राज.)	BC	26/04/1988
7	370	208157	निशा जोशी पुत्री बृजेश शर्मा, 101, गोवर्धन कॉलोनी, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर (राज.)	GE, WE	17/03/1990
8	505	218261	आरुषि जैन पुत्री शबिन्द्र जैन, ओम विलारा बिल्डिंग, जैन मंदिर के पीछे, पाल मंदिर स्कूल रोड, कोटा(राज.)	GE, WE	03/06/1993

109 74
- 8-7-19

क्र.सं.	मेरिट संख्या	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम (सर्वोच्च/सुधी/श्रीमती)	श्रेणी	जन्म तिथि
9	989	212931	जयकिशन मीणा पुत्र दूण्डा राम मीणा, ग्राम-मोजपुर, पोस्ट-गगवाना, तहसील महवा, जिला दौसा हाल प्लॉट नं. 12 महावीर विस्तार कॉलोनी, करतारपुरा जयपुर	ST	01/01/1986
10	1038	207571	पृथ्वीपाल मीणा पुत्र रामकरण मीणा, मुकाम पोस्ट बधाल, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर	ST, RG, NG	12/07/1984
11	1254	204344	रामसिंह गुर्जर पुत्र रव. श्री हनुमान गुर्जर, ग्राम लाखा की नांगल, पोस्ट नाथा की नांगल, तहसील-नीमकाथाना जिला-सीकर (राज.)	MB	01/01/1990
12	1335	208542	मिथलेश मंडोवरा पुत्र गणपत लाल धोबी, राजकीय आईटीआई रोड वार्ड नं. 19, शाहपुरा, जयपुर हाल राजकीय गर्ल्स कॉलेज के पास, वार्ड नं. 12, राज. शाहपुरा, जयपुर	SC, RG	06/04/1984
13	1340	211599	रविकान्त पुत्र जयगारायण ग्राम पोस्ट-माजरी कला, तह-नीमराणा, जिला-अलवर	SC, RG	12/08/1990
14	1504	202350	रिन्की पुत्री भगतसिंह खटीक मोहल्ला, मेला ब्राउण्ड डीग, जिला भरतपुर	SC, WE, RG	14/07/1991
15	1578	201093	राम दयाल पुत्र पदमाराम भोजु, वीर तेजा कॉलोनी, एफरीआई गोदाम के पास, नागौर	BC, BI, RG	09/06/1991
16	1606	203262	मुख राम पुत्र शागीरथ ग्राम जांदवा, तहसील-रतनगढ़, जिला बुरू	BC, EX	15/12/1979
17	1638	206264	कृष्ण कान्त साखला पुत्र ओमप्रकाश साखला, मकान नं. 1247 साखला भवन, माली कॉलोनी, चांदपोल गेट के बाहर, जयपुर	BC, EX	20/01/1978

उक्त नियुक्तिया निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है:-

1. उक्त नियुक्तियां मा. सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 18787/2018 नवीन तिलोटिया बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.08.2018, डी.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 4455/2018 ज्योति चौधरी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.05.2018, मा. उच्चतम न्यायालय में दायर एस. एल. पी. (सी) संख्या-3595/17 शिवराम सिंह चौधरी बनाम राज्य व अन्य के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 03.08'17, मान. उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका संख्या 11200/2010 कन्हैयालाल बनाम आयोग एवं 6744/2008 आयोग बनाम निशक्तजन आयोग (मंयक भोदी प्रकरण), एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 12879/2018 प्रवीण कुमार चौधरी व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 27.08.2018, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 16032/2017 शैलेन्द्र सिंह शेखावत बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 31.05.2018, उच्चतम न्यायालय में लम्बित विशेष अनुमति याचिका संख्या 22134/2018 (गरिमा शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार), विशेष अनुमति याचिका

103
/ 8-34


संख्या 22134/2018 (मानसी तिवारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार) एवं विशेष अनुमति याचिका 6084-6093/2016 (हनुमान जाट एवं अन्य बनाम राज्य सरकार) तथा इस परीक्षा के संबंध में दायर विभिन्न रिट याचिका/विशेष अनुमति याचिकाओं (सीलड कवर रखने के आदेश) एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।

2. इन परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं प.14 (1) वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प.15 (1) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.17(सिडूल-4/रूल्स 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. संख्या 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
3. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 15(1)कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.8.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसरण में उक्त सेवा नियमों के ग्रुप 'ए-2' जिला परीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।
5. उक्त नियुक्तियों सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्याधीन है।
6. इन अभ्यर्थियों को परीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
7. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है, तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
8. सेवा से नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग-पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बंधक पत्र निष्पादित करेंगे।

29/8/17


9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
10. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 के अनुसरण में टीएसपी वर्ग अभ्यर्थियों से उक्त अधिसूचना के क्रम में शपथ पत्र लेना आवश्यक होगा।
11. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उनके चरित्र प्रमाण पत्र/पुलिस वेरीफिकेशन, राज्य सरकार द्वारा रातोषजनक पाये जाने के अध्वधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र/पुलिस वेरीफिकेशन प्रतिकूल प्राप्त होता है तो उसकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
12. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के सम्बन्ध में अभ्यर्थी को "Self declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध अमल में लाई जावेगी।
13. अभ्यर्थी को नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग में प्रस्तुत कर दिया है उन्हें, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
14. नियुक्त अभ्यर्थी उपस्थिति के समय निम्न दस्तावेज साथ लेकर उपस्थित होंगे।
 1. नियुक्त अभ्यर्थी आवेदन के समय धारित शैक्षणिक योग्यताओं एवं दिनांक 03.08.2017 को सेवा आवंटन के समय धारित अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताओं संबंधी मूल दस्तावेज एवं उनकी 1-1 स्वप्रमाणित प्रति।
 2. जन्मतिथि प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति)।
 3. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति)।
 4. मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति)।
 5. आपराधिक प्रकरणों के संबंध में 'self declaration' अथवा शपथ पत्र।
 6. वैवाहिक होने की स्थिति में जीवित संतान/संतानों की सूचना।
 7. गुटखे एवं धूम्रपान सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्ध प्रपत्र।

उपरोक्त दस्तावेजों के साथ दिनांक 10.07.2019 को प्रातः 9:30 बजे प्रशिक्षण के लिए इन्दिरा गांधी पंचायती राज सस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
15. अभ्यर्थियों के लिए विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई आवास सुविधा में निवास करना अनिवार्य है। छात्रावास सुविधा दिनांक 10.07.2019 से 13.07.2019 अपराह्न तक उपलब्ध होगी।
16. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करता है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।


 (सांवरमल वर्मा) 4
 निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक एफ1()/स्था/सान्याअवि/2019/2618-2715 जयपुर दिनांक 8-7-2019
प्रतिलिपि निम्न को सूच-वार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग (क-4/2) शासन सचिवालय जयपुर।
4. सचिव राजस्वभाग लोक सेवा आयोग अजमेर।
5. निजी सचिव निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (संतर्कता एवं प्रशासन), सान्याअवि जयपुर।
7. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण.....।
8. एसीपी मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री
10. व्यक्तिगत पत्रावली।
11. आदेश पत्रावली।


(जयनारायण मिश्र)
अतिरिक्त निदेशक एवं
संयुक्त शासन सचिव